Date of Order or proceeding with Signature of Presiding Officer Order or Proceeding nece 21.1277 राज्य द्वारा एडीपीओ जमानतदार लाखनसिंह के पुत्र विनोद सिंह एवं वीरेन्द्र सिंह ने उपस्थित होक्र एक आवेदन पत्र मय पंचनामा प्रस्तुत किया कि उनके पिता लाखन सिंह द्वारा नरेन्द्र एवं किशन सिंह की जमानत दी गई थी किन्तु वर्ष 2005 में उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में कम से कम राशि बसूल किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि अभियुक्त किशनसिंह एवं नरेन्द्र की प्रकरण क0 118/88 में जमानतदार लाखनसिंह द्वारा 5,000/ 5,000/- रूपए की जमानत प्रस्तृत की गई थी किन्तु नियत दिनांक 17.09.1990 को जमानत मुचलके जब्त कर जमानतदार के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की गई। कालांतर में गमानतदार लाखनसिंह की मृत्यु की सूचना दिनांक 03.05.2006 को प्राप्त होने के संबंध में उल्लेख किया गया और 5,000/- रूपए की राशि बसूलने हेतु उसके बारमाने वीरेन्द्र सिंह एवं विनोद सिंह के लिए लेव्ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। आदेश दिनांक 03.05.2006 को इसी वर्ष न्यायालय में में चुनौती दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है। जमानतदार के पुत्रगण/आवेदकगण विनोद एवं वीरेन्द्र प्रकरण में राशि जमा करना चाहते हैं ताकि उनकी सम्पत्ति उन्मोचित हो सके। अतः जमानतदार की सम्पत्ति से 5,000/- रूपए जब्त किये जाते है, शेष राशि मॉफ की जाती है। जमानतदार के पुत्र वीरेन्द्र एवं विनोद द्वारा 2500/-2500/- रूपए की राशि रसीद क0 51, 52 बुक क0 6909 पर जमा की गई। प्रकरण संतुष्टि में समाप्त किया जाता है। प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्ज कर संचयन हेतु अभिलेखागार प्रेषित है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)